संख्या पी-59 /81-2-2020-800(77)/2020

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषय- जनपद चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम बगरेही के महषि बाल्मिकी आश्रम के पहुंच मार्ग निर्माण तथा पर्यटन विकास कार्य में प्रभावित 0.317283 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में (प्रस्ताव सं0-एफपी/यूपी/रोड/43588/ 2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-66/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/43588/2019, दिनांक 09-07-2020, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित जनपद चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम बगरेही के महषि बाल्मिकी आश्रम केे पहुंच मार्ग निर्माण तथा पर्यटन विकास कार्य में प्रभावित 0.317283 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में **भारत सरकार के पत्र सं0- 8बी/यूपी / 06/06/2020/एफ0सी0/636, दिनांक 19.05.2020 तथा पत्र सं0- 8बी/यूपी/06/06/2020/एफ0सी0/715, दिनांक 07.07.2020 द्वारा निर्गत क्रमश: सैद्धातिक स्वीकृति एवं विधिवत स्वीकृति तथा राज्य सरकार की शर्तो/प्रतिबन्धों एवं** मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा अनुमति आदेश निर्गत किया जाता हैं-

1. Legal status of the Forest land shall remain unchanged.

2 Forest land will bee handed over only after required non-forest land for the project is handedover to the user agency

3 Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 0.318 ha. Non forest land (Compartment /khasra No. Not provided' Village-Nihi Tehsil Manikpur, District Chitrakoot) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

4- The Non forest which has been transferred and mutated in favour of State Forest Department for thr purpose of Compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section -4 OR Protected Forest under section- 29 of the State Forest Act The Nodal Officer Forect (Conservation)Act 1980 may report compliance within a period of ix (6) months from the date of grant of final

shasanadesh.up.nic.in

approval and send a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, to this Office for information and record.

5. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Enviromental (Protection), Act,1986, if applicable.

6. The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collactor.

7. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas\forest areas.

8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

9- No labour camp shall be established on the forest land.

10 Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated in ground at the project cost, as per the directions of the concerned Division Forest Officer.

12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

13. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be transferred to any other agencies, department or person with out prior approval of Govt. Of India.

14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, which ever is less.

15. As per the EIA notification (Sepetember 14th, 2006) and its subsequent amendments. (3.6) Plastic Waste Management Rules 2016, waste plastic materials may be used during construction of the road.

16. The forest land shall not be used for any purposed other than that specified in the project proposal.

17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

18. Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

shasanadesh.up.nic.in

19. मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

20. प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

21. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

22 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23. प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

24. भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा ।

shasanadesh.up.nic.in

25. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा ।

26. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

27 वन अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-7-1999 के प्रस्तर- 1(2) में विहित व्यवस्थानुसार परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर मूल्य पर्यटन विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाये्गा प्रयोक्ता विभाग को वन भूमि लीज पर नही दिया जायेगा।

28 उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत अनुमति आदेश मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्ततरदायी होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-7-954/दस-2020, दिनांक 01-10-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्याण्-पी-59(1)/81-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- उप वन महानिरीख (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- मुख्य वन संरक्षक, चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट।
(3)- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
(4) प्रभागीय वनाधिकारी चित्रकूट। वन प्रभाग, चित्रकूट।
(5)- क्षेत्री य पर्यटन अधिकारी, चित्रकूट।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

shasanadesh.up.nic.in

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in